

मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, झाँसी

एम.ए.सी.पी. संख्या 279/2019,

राम स्वरूप पुत्र स्व. छोटे लाल उम्र 41 वर्ष निवासी खेरापुरा चिरगाँव तहसील मोंठ जिला झाँसी, उ.प्र.

-----याची।

प्रति

1. अनुराग पुत्र श्री रमेश निवासी ग्राम 139 गढ़मऊ थाना बड़ागाँव तहसील व जिला झाँसी, उ.प्र.

.....चालक टुक नं. यू.पी. 93 बी टी 4314

2. राकेश कुमार साहू पुत्र श्री नन्दराम साहू निवासी 520/2 कोछाभावर, झाँसी तहसील व जिला झाँसी, उ.प्र.

.....पंजीकृत स्वामी टुक नं. यू.पी. 93 बी टी 4314

3. चोला एम.एस. जनरल इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड द्वितीय तल, 4 मेरीगोल्ड, शाहनजफ रोड, लखनऊ जरिए क्लेम इंजार्ज चोला एम.एस.जनरल इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड-श्रीराम वाटिका हाउस नं. एस-10/6 ए-11, मकबूल आलम रोड, श्रीकान्त नगर कालोनी, वाराणसी जिला वाराणसी, उ.प्र.-221002

.....बीमाकर्ता टुक नं. यू.पी. 93 बी टी 4314

-----विपक्षीगण।

याची के अधिवक्ता- श्री राजीव गुप्ता

विपक्षी सं. 1 व 2 के अधिवक्ता- श्री राकेश चन्द्र साहू

विपक्षी सं. 3 के अधिवक्ता- श्री सुनील शुक्ला

01.11.2020

पत्रावली आज E-Lok Adalat में पेश हुयी। याची व उनके विद्वान अधिवक्ता तथा विपक्षी सं. 3 चोला एम.एस. जनरल इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता न्यायाधिकरण के वर्चुअल न्यायालय में उपस्थित आये।

याची व विपक्षी सं. 3 बीमा कम्पनी के मध्य हुए सुलहनामा 35 बी पर याची व विपक्षी सं. 3 बीमा कम्पनी के विद्वान अधिवक्तागण को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। 35 बी सुलहनामा उभय पक्ष की उपस्थिति में आज न्यायाधिकरण द्वारा वर्चुअल न्यायालय में तस्दीक किया गया। 35 बी सुलहनामा के अनुसार विपक्षी सं. 3 बीमा कम्पनी क्षतिपूर्ति के रूप में ₹ 30,000 याची को सम्पूर्ण सन्तुष्टि पर अदा करेगी। उभय पक्ष द्वारा न्यायाधिकरण के समक्ष सुलहनामा 35 बी की पुष्टि की गयी है तथा याची सुलहनामा 35 बी में दर्शित कुल ₹ 30,000 प्रतिकर के रूप में लेने हेतु सहमत है, जिसे विपक्षी सं.3 बीमा कम्पनी याची को देने हेतु तैयार हैं। अतः याचिका सुलहनामा 35 बी के अनुसार पूर्ण सन्तुष्टि में निर्णीत किये जाने योग्य है।

आदेश

याची की याचिका सुलहनामा 35 बी के अनुसार निर्णीत की जाती है। सुलहनामा 35 बी इस आदेश का भाग रहेगा। विपक्षी सं. 3 चोला एम.एस. जनरल इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड को आदेशित किया जाता है कि वह निर्णय के दिनांक से 30 दिन के अन्दर प्रतिकर की धनराशि ₹ 30,000 (तीस हजार) मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, झाँसी के सिंडीकेट बैंक के खाता सं. 92352010008560 आई.एफ.सी. सं. SYNB0009235 में आर.टी.जी.एस./ नेफ्ट के माध्यम से अन्तरित कर दे। धनराशि अन्तरण में याचिका संख्या, नाम बनाम का उल्लेख किया जाएगा तथा ट्रांजैक्शन नं. मय याचिका संख्या व नाम बनाम की सूचना न्यायाधिकरण को ईमेल po@mactjhansi.in व po-mact.jh@up.gov.in पर भेजी जाएगी। उक्त प्रतिकर की धनराशि याची रामस्वरूप आर.टी.जी.एस./नेफ्ट के जरिए अपने बैंक खाते में नकद प्राप्त कर सकेगा।

तदनुसार एवार्ड तैयार हो। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(चंद्रोदय कुमार)

पीठासीन अधिकारी

मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण,
झाँसी।